सितम्बर, 2017 में गृह मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां, महत्वपूर्ण घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम

दिनांक 26.09.2017 को गृह राज्य मंत्री, श्री किरेन रिजीजू ने संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों और पूर्वोत्तर राज्यों के रेजिडेंट आयुक्तों के साथ एम.पी. बेजबरुआ समिति द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की।

2. दिनांक 28.09.2017 को, केन्द्रीय गृह सचिव ने त्रिपुरा से ब्रू प्रवासियों के मिजोरम में प्रत्यावर्तन से संबंधित प्रगति की समीक्षा की ।

3. केन्द्रीय गृह सचिव ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल से संबंधित मुद्दों और वामपंथी उग्रवाद थियेटर के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग की समीक्षा भी क्रमश: दिनांक 18.09.2017 एवं 25.09.2017 को की।

4. दिनांक 20.09.2017 को, सीसीएस ने राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नेटग्रिड) के आई टी फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन हेतु समय-सीमा को दिनांक 30.06.2019 तक बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया। सीसीएस ने किसी अदृश्य विलंब को ध्यान में रखते हुए दिनांक 30.06.2019 के बाद एक वर्ष तक की अवधि को बढ़ाने को अनुमोदित करने हेतु माननीय गृह मंत्री को प्राधिकृत भी किया।

5. दिनांक 27.09.2017 को, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीएस) ने वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 तक की अवधि के लिए निम्नलिखित स्कीमों के साथ पुलिस बल आधुनिकीकरण की अम्ब्रेला स्कीम को अनुमोदित किया:

राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण		कुल परिव्यय (रु. करोड़ में)
(iv)	पुलिस अवसंरचना [विधिविज्ञान प्रयोगशाला और संस्थान तथा उपकरण] को उन्नत करने के लिए विशेष परियोजनाओं/कार्यक्रमों हेतु राज्यों को सहायता	7380
(v)	अन्तर-राज्य पुलिस बेतार के अंतर्गत परियोजनाएं	587
(vi)	पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता	48

6. माननीय राष्ट्रपति ने इस माह के दौरान तीन राज्य बिलों अर्थात् औद्योगिक विवाद (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 2016, दंत चिकित्सक (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 और भारतीय स्टाम्प (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2016 को सहमति प्रदान की।

7. इस माह के दौरान, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद की गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकारों/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को सुग्राही बनाने के लिए उन्हें 04 परामर्शी-पत्र जारी किए गए।

8. कानून एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटियों और विभिन्न त्योहारों के लिए पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ओडिशा, केरल, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब राज्यों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 317 कंपनियों को तैनात किया गया। पंजाब में उप चुनाव हेतु भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 20 कंपनियां तैनात की गईं।

9. डेरा सच्चा सौदा मुद्दे के फलस्वरूप कानून एवं व्यवस्था ड्यूटियों हेतु पंजाब, हरियाणा राज्यों एवं चंडीगढ़ को केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 131 कंपनियां मुहैया कराई गईं।

10. देश भर में कुल 15374 पुलिस थानों में से, 14276 पुलिस थाने (92.85 प्रतिशत) सीसीटीएनएस के माध्यम से शत-प्रतिशत प्राथमिकी की प्रविष्टि कर रहे हैं।

11. देश भर में सीसीटीएनएस परियोजना के अंतर्गत कवर किए गए 15374 पुलिस थानों में से 14303 पुलिस स्टेशनों (93.03%) में सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर लगाया गया है।

12. विभिन्न मदों के प्रावधान एवं प्रापण के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों आदि के लिए प्राधिकार, संभरण एवं व्यय हेतु 23.12 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई।

13. वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, गृह मंत्रालय के नेतृत्व में एक अंतर-मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडल ने भारत एवं पोलैंड के बीच हस्ताक्षर की जाने वाली पारस्परिक विधिक सहायता संधि पर बातचीत के लिए 7-8 सितम्बर, 2017 के दौरान पोलैंड का दौरा किया।

14. लिंग अनुपात बढ़ाने और मातृ मृत्यु कम करने की दृष्टि से, दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र में "डिकरी विकास स्कीम" और "मातृ समृद्धि योजना" के अंतर्गत क्रमश: 71 लाभार्थियों के लिए 30.08 लाख रुपए एवं 64 लाभार्थियों के लिए 3.20 लाख रुपए की राशि संवितरित की गई।

15. भारत एवं रूस के बीच चार्टर्ड एवं निर्धारित (सिड्यूल्ड) उड़ानों के वीजा रहित प्रवेश के लिए सामान्य घोषणा के कार्यान्वयन हेतु दोनों देशों की सरकार के बीच क़रार पर हस्ताक्षर किए गए।

16. इस माह के दौरान, कुल 6025 वीजा मामले प्राप्त हुए और 4057 मामलों का निपटान किया गया। कादियन जिला गुरदासपुर, पंजाब में 29-31 दिसम्बर, 2017 तक आयोजित होने वाले 123वें जलसा सलाना, कादियन में भाग लेने के लिए अहमदिया मुस्लिम समुदाय के 1800 पाक राष्ट्रिकों को सुरक्षा मंजूरी प्रदान की गई।

17. दीर्घकालिक वीजा प्रदान किए जाने के लिए पाक राष्ट्रिकों से प्राप्त 431 आवेदनों का निस्तारण किया गया तथा दिनांक 28.09.2017 को दो पाकिस्तानी कैदियों को अटारी वाघा सीमा से होकर प्रत्यावर्तित किया गया।

* * * * *